



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 12 बुधवार, शाके 1936-सितम्बर 3, 2014
Bhadra 12, Wednesday, Saka 1936-September 3, 2014

भाग 1 (क)
नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग
अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 3, 2014

संख्या प.23(2)चि.स्वा./ग्रुप-3/2008 पार्ट :- गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग
चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (2) संप्रति उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक
एफ. 23 (2)चि.स्वा.3/2003 पार्ट दिनांक 1-7-2003, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित
संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग" को अभिव्यक्ति "विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्थ, राजस्थान,
जयपुर" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
चुन्नी लाल कायल,
संयुक्त शासन सचिव।